विनयगुप्ता विरूद्ध विरेन्द्र कुमार आदि आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 4282–दो / 14 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.2.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक अपील 113 / तीन / 81 में पारितआदेश दिनांक 6–9–1983 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन की ओर से ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आवेदक द्वारा यह पुनरावलोकन आवेदन आदेश दिनांक 6–9–83 के विरूद्ध दिनांक 2–12–14 को अर्थात 32 वर्ष विलंब से प्रस्तुत किया गया है । इस 32 वर्ष के असाधारण विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण आवेदक की ओर से नहीं दिया गया है और ना ही विलंब क्षमा करने का कोई आवेदन लगाया गया है ना ही कोई शपथपत्र है । ऐसी स्थिति में यह पुनरावलोकन अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । सदस्य	

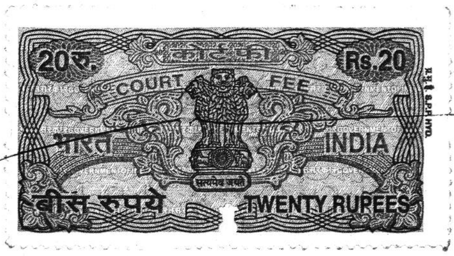

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 पुनर्विलोकन रिव्यू 4282-II/14

विनयगुप्ता पिता स्व. श्री घनश्यामदास जी गुप्ता, आयु–63 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–ए.–2/7, मॉडल टाउन दिल्ली–9 ......**पुनर्विलोकनकर्ता**

दिनांक 15/12/14 को ... द्वारा प्रस्तुत 15/12/14

प्रार्थी अभिभाषक श्री पंकज जैन
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 2-12-14
अधीक्षक 2/12/14
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. विरेन्द्र कुमार खंडेलवाल पिता स्व. श्री रघुवीरचंद्र आयु–75 वर्ष लगभग, धंधा–व्यापार,
2. सत्येन्द्रकुमार खंडेलवाल पिता स्व. श्री रघुवीरचंद, आयु–73 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–मालवा कॉटन प्रेस, आगर रोड, उज्जैन, म.प्र.
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, कार्यालय कोठी पैलेस, जिला उज्जैन, म.प्र.

22-12-14

............**प्रतिप्रार्थीगण**

पुनर्विलोकन याचिका अधीन धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

माननीय न्यायालय के द्वारा अपील प्रकरण क्र. 113/तीन/1981 शीर्षक विरेन्द्र कुमार आदि विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा एडिशनल कलेक्टर, जिला उज्जैन में पारित आदेश दिनांक 06.09.1983 के दुखित होकर हितबद्ध पक्षकार के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत है।